

FROM No.III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत..... (570) मुकाम.....

बनाम.....

किसम मुकदमा..... सन.....

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तापील में जारी हुए
30/3/21	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री ..... खल/राफ जा/...</p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा ..... 11/128 LL</p> <p>राजस्थान कायदाकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रिस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 04.05.21..... को पेश हो।</p>	
4/5/21	<p>प्रार्थी वकील उपर/ विप्रार्थीगणों के नोटेस वा मिले ठाकम वामिल कपाए/ श्रीमान पी.बी.पी. अधिकारी का पद रिस्त होने के मिशाल इल्लखा लोक आगामी दि 26/6/21 को पेश हो।</p>	
26/6/21	<p>प्रार्थी वकील उपर/ विप्रार्थीगणों के नोटेस वा मिले शुदा साए/ जिले वामिल पत्रावली किपासाए/ श्रीमान पी.बी.पी. अधिकारी का पद रिस्त होने के मिशाल इल्लखा लोक आगामी दि 26/10/21 को पेश हो।</p>	



26/10/21

प्राथमिकील उपर/ विप्राप्रीगो अनुपस्थित। भीमान  
पीढापीन अधिकारी अधिकारी महोदय प्रशासन गाँवों  
के संग अधिमान 2021 के प में लखने से पत्रावली  
हीलदि 4/1/22 को पेश हो।

न्यायालय  
क्रमांक / वाद / 2021  
प्राथम / 5516  
1. भंडार

4/1/2022

प्राथमिकील उपस्थित/ विप्राप्रीगो अनुपस्थित।  
समय में लीन ठार आवाज लगाई गई आराम आवाज  
pm पर लगाई गई, विप्राप्रीगो स्वयं या उसकी अंगुलिका  
अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ। लिहाजा विप्राप्रीगो के  
विरुद्ध (कनरना कार्रवाई) अमल में लाई जाती है। प्राथम  
के अधिवक्ता की बटन खुली गई प्राथम के अधिवक्ता ने  
कि प्राथम एवं विप्राप्रीगो के खेन सहा से आइएड एड उत्क  
खेन के सहा पुरानी सीट एवं कोने हुए जो वर्तमान में  
आधिपति की कहते बिबर गए हैं। जिससे प्राथम को अपने  
खानेवाले खेन की सीमाओं का हकीकत नहीं हो पाया  
है जितने वर्तमान के दिने में प्राथम एवं विप्राप्रीगो के  
बीच नजारा बना रहता है प्राथम को अपने खेन की सीमाओं  
का सही ज्ञान कवाले ठाकर नेलनवंदी कवाला आवश्यक  
है इसलिए प्राथम का नेलनवंदी आवेदन स्वीकार किया  
जाकर नेलनवंदी आदेश दिया जावे।

अनः प्राथम अधिवक्ता के निवेदन पर प्राथम  
का नेलनवंदी आवेदन स्वीकार किया जाके तहसीलदार  
ठापुरको कमीशनर नियुक्त किया जाके अडेडा रिपॉ  
जाना है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ अधिकारी की  
दृ.अ. निरीक्षक ले प्राथम के खानेदारी आधिपति पम्पी  
नेलनवंदी माके प (कमीशनर शुल्क समाकराकर  
करे। पालना रिपॉरें पाल लेने प (शामिल पत्रावली  
ही पत्रावली फॉल शुमा (ही पत्र नभूत नि कगले  
गाखिल दखतर हो।

सहायक कमीशनर  
(SDO) बाधर

राजस्थान-सरकार

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक/वाद/2021/ 1598  
प्रार्थी

बनाम

दिनांक:- 4/1/22  
विप्रार्थीगण

1. भंवराराम पुत्र अमराराम  
जाति जाट, निवासी आहोणी बेनिवालों की ढाणी  
पटवार मण्डल माधासर  
तहसील बायतु (बाड़मेर)

1. डाउराम पुत्र साजनराम वगैरा 14  
जाति जाट, निवासी आहोणी बेनिवालों की ढाणी  
पटवार मण्डल माधासर  
तहसील बायतु (बाड़मेर)

### प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 102/2021

#### आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा - आहोणी बेनिवालों की ढाणी, पटवार मण्डल -माधासर, तहसील - बायतु, जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 303 रकबा 2.5403 हैक्टर एवं मौजा- दर्जियों की ढाणी पटवार मण्डल - माधासर तहसील -बायतु जिला -बाड़मेर के खेत खसरा नं. 110/61 रकबा 5.8248 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशन नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वयं या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनरी शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबन्धित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

(SDO) बायतु  
दिनांक:- 4/1/22

क्रमांक/वाद /2021/ 1599-1604  
प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का माधासर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री भंवराराम पुत्र अमराराम
4. विप्रार्थी श्री डाउराम पुत्र साजनराम वगैरा 14
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु

(SDO) बायतु